

**वारण्ट**

जिला कारागार, सुल्तानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नागेश्वर सिंह ऊर्फ नगई सिंह पुत्र जगपति सिंह को मानसिक रोग से ग्रसित पाया गया है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-510 एव प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अर्न्तगत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उसे जिला कारागार, सुल्तानपुर में वापस भेज दिया जाये।

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।

**संख्या- 12/2017/2671जे0(1)/22-5-16-तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्ये, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-45173/सामा-1(1)/मानसिक बंदी/4/2016, दिनांक 26-12-2016 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित।
- 2- जिलाधिकारी, सुल्तानपुर ।
- 3- पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर ।
- 4- अधीक्षक, जिला कारागार, सुल्तानपुर ।
- 5- प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।